20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

(149)

<u>सक्षम माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 भोपाल</u>

रिवीजन कं. R-2463-PBR/14

Entry 50

जितेन्द्र सिंह आयु 65 साल
पिता रावत हरेन्द्र सिंह
निवासी–ग्राम–सिघोंडा,
तहसील बैरसिया, जिला भोपाल --- आवेदक

विरुद्ध

1. किशनलाल पिता भूरेलाल जाति चमार
2. मम्मा उर्फ भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति चमार
3. प्रहलाद पिता बुद्धराम जाति चमार
4. मुल्ला पिता सुखराम
5. छीतर पिता पन्नालाल
6. शंकरलाल पिता पन्नालाल
7. हजारीलाल पिता गुटिया
8. रामचरण पिता गुटिया
9. मिश्रीलाल पिता घीसीलाल
10. दयाराम पिता जयराम
11. लालाराम पिता जयराम
12. परसराम पिता देवीराम
13. ओंकार पिता काशीराम
14. इमरत पिता काशीराम
15. बटनलाल पिता धूरिया

सर्व जाति चमार

16. बाबूलाल पिता सुमान
17. श्यामा पिता सुमान
18. नब्बा पिता नारान

सर्व जाति मेहन्तर
निवासी–ग्राम सिंघोडा तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल म0प्र0 --- अनावेदकगण

श्री अब्दुल हनीफ खाँ अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 22-7-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
22-7-14

26-7-14

निरंतर.........2

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता

उपरोक्त आवेदक प्रकरण क–418वीं121/13–14 किशनलाल आदि विरूद्ध जितेन्द्र सिंह में न्यायालय नायब तहसीलदार वृत नजीराबाद तहसील बैरसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 2/7/14 से दुखी होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा हैः–

मान्यवर महोदय,

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता हैः–

1. यह कि ग्राम सिघोंडा तहसील बैरसिया जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नं. 38/1 रकबा 31.65 एकड भूमि प्रकरण क्रमांक–30अअ90वीं3/74–75 स्टेट वि0 जितेन्द्र सिंह में दिनांक 11/4/85 को श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय बैरसिया द्वारा अतिशेष घोषित किये जाने बावत् आदेश पारित किया जिस पर आवेदक ने 24/9/86 को व्यवहार वाद क्रमांक–32अ87 दीवानी अदालत बैरसिया में पेश किया।
2. यह कि व्यवहार वाद दिनांक 17/12/02 को खारिज हुआ तब आवेदक द्वारा नियमित व्यवहार अपील क्रमांक 177 अ–6 प्रस्तुत की जो श्रीमान ग्यारहवे अपर जिला न्यायाधीश महोदय भोपाल द्वारा दिनांक 4/11/06 को खारिज हुई जिस पर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक–432/2007 माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 1/4/2014 को पक्षकारों के नोटिस की सर्विस के इंतजार में तिथि नियत थी। उक्त अपील लम्बित है।

निरंतर..........3

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2463-पीबीआर/2014 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	